न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 47/2016/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 30.6.2016
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर (राज0) जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर।
2 जिला वक्फ कमेटी कोटा जरिये सदर जिला वक्फ कमेटी कोटा।

... अपीलार्थी

बनाम

1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2 हाजी अब्दुल अजीज वल्द अब्दुल शकूर मुसलमान निवासी हमदर्द मंजिल मेहरापाडा बजाजखाना कोटा (राज0)।

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री अब्दुल सलाम खान अभिभाषक अपीलार्थी
श्री दीनानाथ गालव अभिभाषक रेस्पो0 कम–2

–:::निर्णय:::–

दिनांक 10.1.2018

1 अपीलार्थी ने न्यायालय उप जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 140/2001 प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान हाजी अब्दुल अजीज बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 6.8.2001 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर अपील धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की है।

2 अपील के सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 कम–2 ने अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गुमानपुरा तहसील लाडपुरा के ख0 नं0 113 की रकबा 5.99 है0 गै0मु0 कब्रिस्तान मे से 0.52 है0 भूमि जंगली शाह बाबा प्रबन्धक (प्रार्थी) के नाम दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 कम–2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर ख0 नं0 113 रकबा 5.99 है0 मे मौके अनुसार 0.46 है0 दरगाह जंगलीशाह बाबा होने से ख0 नं0 मे बटा नम्बर डालकर अलग खसरा नम्बर तरमीम करने का दिनांक 6.8.2001 को आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी कब्रिस्तान है तथा वक्फ सम्पत्ति है कब्रिस्तान की किस्म चेंज करने अथवा रकबा घटाने से पूर्व अपीलार्थी को वक्फ अधिकरण 1995 की धारा 90 के तहत नोटिस जारी नही किया गया। उक्त सम्पत्ति गजटनोटिफिकेशन 1965 के कमांक 32 पर वाके ग्राम किशोरपुरा/गुमानपुरा तहसील लाडपुरा कोटा दर्ज है जिस पर एतराज को श्रवण करने का समय

उक्त दिनांक 23.9.1965 से एक वर्ष बाद तक रखा गया था इस अवधि मे रेस्पो0 क्रम–2 द्वारा किसी प्रकार का एजराज वक्फ कमीश्नर अथवा उच्च पदाधिकारियो के समक्ष पेश नही किया गया और 35 साल बाद रेस्पो0 नं0 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत व अधूरे तथ्य पेश करके अपीलीय आदेश गलत रूप से प्राप्त कर लिया जो कानून के परिक्षेत्र मे न होने से खारिज योग्य है। धारा 90 वक्फ अधिनियम 1995 के तहसील किसी भी विवाद को जब तक श्रवण नही किया जा सकता जब तक की राज0 वक्फ बोर्ड जयपुर को पक्षकार नही बनाया जाता अथवा उसको सूचित नही किया जाता। अतः राज0 वक्फ बोर्ड जयपुर को पक्षकार नही बनाये जाने के अभाव मे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 6.8.2001 निरस्तनीय है। अपीलीय आदेश की जानकारी अपीलार्थी को न्यायालय अतिरिक्त सिविल जज (क, ख) दक्षिण का–1 कोटा की अदालत मे एक दावा 198/14 उनवान हाजी अब्दुल अजीज बनाम अब्दुल अजीज अंसारी आदि के नाम से पेश करने व उसके सम्मन प्राप्त होने पर हुई। अतः जानकारी की तिथी से अपील अन्दर मियाद मानते हुये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 6.6.2001 खारिज किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड के ग्राम गुमानपुरा व किशोरपुरा के नक्शा लट्ठा मे उक्त आदेश के तहत हुये तरमीम को निरस्त फरमावे एवं दिनांक 6.8.2001 के पूर्व की स्थिति बहाल की जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस मे प्रकट किया कि जेरअपील आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी/आईएलआर से रिपोर्ट नही ली गई। विवादित आराजी कब्रिस्तान है तथा वक्फ सम्पत्ति है कब्रिस्तान की किस्म चेंज करने अथवा रकबा घटाने से पूर्व अपीलार्थी को वक्फ अधिकरण 1995 की धारा 90 के तहत नोटिस जारी नही किया गया। राज0 वक्फ बोर्ड जयपुर को पक्षकार नही बनाया गया ऐसी स्थिति मे जेरअपील आदेश निरस्तनीय है। गजट नोटिफिकेशन 1965 के क्रमांक 32 पर वाके ग्राम किशोरपुरा/गुमानपुरा तहसील लाडपुरा कोटा दर्ज है जिसके संबध मे समयाविध मे एजराज वक्फ कमीश्नर अथवा उच्च पदाधिकारियो के समक्ष पेश नही किया गया और 35 साल बाद रेस्पो0 नं0 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत व अधूरे तथ्य पेश करके अपीलीय आदेश गलत रूप से प्राप्त कर लिया जो कानून के परिक्षेत्र मे न होने तथा वक्फ बोर्ड को पक्षकार नही बनाने से श्रवण योग्य नही था। उक्त तथ्यों पर अध्ओीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। अपीलीय आदेश की जानकारी न्याया0 अति0 सिविल जज (क, ख) दक्षिण का–1 कोटा की अदालत मे एक दावा 198/14 उनवान हाजी अब्दुल अजीज बनाम अब्दुल अजीज अंसारी आदि मे सम्मन प्राप्त होने पर हुई। अतः जानकारी की तिथी से अपील अन्दर मियाद मानते हुये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 6.6.2001 खारिज किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड के ग्राम गुमानपुरा व किशोरपुरा के नक्शा लट्ठा मे उक्त आदेश के तहत हुये तरमीम को निरस्त फरमावे एवं दिनांक 6.8.2001 के पूर्व की स्थिति बहाल की जावे।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–2 ने बहस मे बताया कि अपीलांट द्वारा जेरअपील निर्णय दिनांक 6.9.2001 के विरूद्ध अपील वर्ष 2014–15 मे पेश की गई जो मियाद बाहर है तथा देरी माफ किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। जेरअपील आदेश वक्फ बोर्ड, पटवारी, सर्वे रिपोर्ट प्राप्त कर सरकार के पैरोकार की उपस्थिति मे पारित किया गया है। वक्फ ने अनापत्ति दी है। वर्ष 1945–46 से जगंलीशाह बाबा दरगाह मजार है। इस संबध मे अहमद शाह द्वारा रेस्पो0 क्रम–2 के पिता के खिलाफ एडीशनल मुन्सिफ मजि0 कोटा के यहां दावा 73/61 पेश किया जो दिनांक 13.3.1965 को खारिज कर दिया जिसकी अपील भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटा के यहां से खारिज हुई।

6 हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया गया। रेस्पो0 अभि0 ने अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यो का खण्डन नही किया है तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

7 अपील पत्रावली का गुणावगुण पर विचार कर पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड एवं जेरअपील निर्णय तथा प्रश्नगत प्रकरण मे उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणो का ध्यान पूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम गुमानपुरा तहसील लाडपुरा सम्वत् 2056–59 ख0 नं0 113 रकबा 5.99 गे.मु. कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड कोटा के नाम दर्ज होना प्रकट है। रेस्पो0 क्रम–2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ख0 नं0 113 रकबा 5.99 है0 मे से 0.52 है0 भूमि जंगली शाह बाबा (प्रबधक) के नाम दर्ज करने का अनुतोष चाहने जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश दिनांक 6.8.2001 अनुसार ख0 नं0 113 रकबा 5.99 है0 मे मौके अनुसार 0.46 है0 दरगाह जंगलीशाह बाबा होने से ख0 नं0 बटा नम्बर डालकर अलग खसरा नम्बर तरमीम करने का पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय मे वक्फ बोर्ड को पक्षकार नही बनाया गया अतः जेरअपील निर्णय वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाये व नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होना प्रकट होता है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि भू राजस्व अधिनियम की **धारा 136 मे ''गलतियों के शुद्धिकरण'' के अन्तर्गत भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर मे अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें''**। उक्त विधिक प्रावधानो के परिपेक्ष्य मे भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधिक सम्मत नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय के निर्णय दिनांक 6.8.2001 मे उक्त विवेचित तथ्यो का अभाव रहा है। ऐसी स्थिति मे जेरअपील निर्णय न्यायोचित नही होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमांड) किये जाने योग्य है।

8 परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा प्रकरण सं0 140/2001 बउनवान हाजी अ0 अजीज बनाम स्टेट अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट मे पारित आदेश दिनांक 6.8.2001 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ (रिमांड) प्रति प्रेषित किया जाता है कि निर्णय के बिन्दू सं0 7 मे विवेचित तथ्यो के आलोक मे अपीलांट को पक्षकार बनाते हुये सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उभय पक्षकार को सुनकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 27.2.2018 को उपस्थित हों।

9 निर्णय आज दिनांक 10.1.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा